अपील संख्या 28/21 निर्णय दिनांकः 18-11-2021

1. कैलाशचन्द पुत्र खींयाराम जाति ब्राहमण निवासी पायली हाल दन्तौर तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरियें तहसीलदार पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 28—04—2000
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 28—064—2000 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:34:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

पूगल के चक 13 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 74/52 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। किन्तु उक्त रकबे को 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–04–2000 के विरूद्व अपील 28–01–2021 को पेश की है। जो करीब 21 वर्ष विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपील आवंटन प्रार्थना पत्र निर्धारित राशि अर्थात 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण खारिज किया गया है। अतः अपीलांट को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 19:34:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉं तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–04–2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील दिनांक 28–01–2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 13 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 74/52 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का 35 प्रतिशत राशि 43925/– जमा कराने हेतु नोटिस कमांक 1006 दिनांक 19–04–2000 व पूर्व में नोटिस क्रमांक 864 दिनांक 18–03–2000 को जारी कर 35 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु पाबन्द किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन हेतु निर्धारित 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र दिनांक 28–04–2000 को निरस्त कर दिया गया।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नियमानुसार वादगत् भूमि के आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि 43925/– जमा कराने हेतु व वांछित सबूत यथा वोटर लिस्ट 1971, 1975, 1980, 1985, 1993 व 1998 की प्रमाणित प्रति, मूल निवासी प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र, महिला आवेदक द्वारा पति/पिता का व्यवसाय संबंधी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो आदि [illegible] करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट निर्धारित तिथि को [illegible] अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ व [illegible] हेतु निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई ग[illegible] इससे स्पष्ट है कि अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:34:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया है।

(4) प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी सामने आया है कि अपीलांट द्वारा अपने खारिजी आवेदन के विरूद्व दिनांक 03–04–2017 को अदालत मातहत के समक्ष भी 35 प्रतिशत राशि जमा करवाते हुए वादग्रस्त भूमि के आवंटन की मांग की गई थी। जिस पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जा चुकी है। अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा अपना कोई अंतिम निर्णय आज दिनांक तक पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व ही उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा एक ही आदेश के विरूद्व दो विभिन्न न्यायालयों में चाराजोई की गई है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करती है। अपीलांट द्वारा इस तथ्य को न्यायालय के समक्ष छिपाया गया है। अपीलांट का उक्त कृत्य अपीलांट स्वयं को संदेह घेरे में लाता है। अपीलांट जब तक अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं करवाता तब तक अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18-11-2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:34:07 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान) 18-11-2021
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर